

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति



NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)

Northern Regional Committee

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART - III, SECTION 4

F. NRC/NCTE/F-7/UP-2784/145 MEETING/2009/8092 Dated: 17 AUG 2009
ORDER

WHEREAS in terms of Section **14(1)** of the NCTE Act, 1993 BABA PRASIDDH NARAYAN MAHAVIDYALAYA, VILLAGE - BAGTHARI, POST OFFICE - MURARA, TEHSIL - KERAKAT, DISTT. - JAUNPUR, U.P. has submitted an application (code No. APN05673) to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition/permission for starting **B.Ed. course of One year** duration with an annual intake of 100 (one Hundred) students on 30-12-2007.

2. AND WHEREAS on scrutiny/perusal of the application submitted by the institution, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of report and ideography, recommendation of the State Government, the Committee is satisfied that the institution/society fulfills the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the **Secondary teacher education Programme** such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory etc. for running the Programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section **14(3) (a)** of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition/permission to BABA PRASIDDH NARAYAN MAHAVIDYALAYA, VILLAGE - BAGTHARI, POST OFFICE - MURARA, TEHSIL - KERAKAT, DISTT. - JAUNPUR, U.P. for conducting **B.Ed. Course of Secondary (level)** of one year duration with an annual intake of 100 (One Hundred) students from the academic session 2009-2010 under clause 7(11) of NCTE Regulation, 2007 notified on 10-12-2007.

4. The institution shall, within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund and reserve fund accounts into joint accounts to be operated along with an officer of the Northern Regional Committee.

5. The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.

6. The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE Regulations, 2007 notified on 10-12-2007.

7. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed under relevant norms and standards of NCTE for other regulatory bodies like UGC, the State Government etc, wherever applicable.

8. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant together with statement of T.D.S. in respect of the salary paid to the staff. A copy of the format is enclosed with the order.

Cont...2

9. If the institution contravenes any of the above conditions or the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made or issued there under, the Regional Committee shall withdraw the recognition as stipulated provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

10. The institution shall maintain & update its Web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure: -


- Copy of the Application Form
- Land and Building Particulars
- Staff Profile
- Recognition letter
- Information for having fulfilled the norms & standard and other required conditions.

The Manager to Govt. of India
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi - 110 054

Regional Director
Tel. No. 0141-2623501

C.C.

- (1) The Principal, BABA PRASIDDH NARAYAN MAHAVIDYALAYA, VILLAGE - BAGTHARI, POST OFFICE - MURARA, TEHSIL - KERAKAT, DISTT. - JAUNPUR, U.P. (2) The Secretary, Education, Govt. of Uttar Pradesh, Secretariat, Lucknow, U.P.
- (3) The Registrar, VEER BAHADUR SINGH PURVANCHAL UNIVERSITY, JAUNPUR, U.P.
- (4) The Director, Directorate of Higher Education, I/C Teacher Education, Govt. of Uttar Pradesh, Directorate, Allahabad, U.P.
- (5) The Secretary, Dept. of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi-110 001
- (6) The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110 002.
- (7) Office Order file/ Institution file


Regional Director

प्रेषक,

संख्या-3371/सत्तर-6-2010-2(500)/2010

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 30 अगस्त, 2010

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-पू.वि.वि./सम्बद्धता/07-76(एक)/2010/3213, दिनांक 07.07.2010 एवं पत्रांक-पू0वि0वि0/सम्बद्धता/07-76(एक)/2010/3500, दिनांक 13.08.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन बाबा प्रसिद्ध नारायण महाविद्यालय, बगथरी, मुरारा, जौनपुर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2010 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है-

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
 2. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
 3. शासनादेश संख्या-5267/70-2-2005-2(166)/2002टीसी, दिनांक 16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या-5125/70-2-2005-2(166)/2005, दिनांक 21.10.2005 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 4. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जाएगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जाएगा।
 5. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
 6. विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नगत पाठ्यक्रम में नियमानुसार प्रवेश होने, परीक्षाफल, परीक्षा नकल विहीन होने तथा अध्यापकों/विभागाध्यक्ष का वेतन बैंक के माध्यम से किए जाने के तथ्यों की पुष्टि करते हुए ही आगामी शैक्षिक सत्र में सम्बद्धता प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।
 7. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राक्खानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
- (2) महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियां आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या-3371(1)/सत्तर-6-2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
3. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, तिलकनगर, शांतिपथ, जयपुर।
4. प्रबन्धक, बाबा प्रसिद्ध नारायण महाविद्यालय, बगथरी, मुरारा, जौनपुर।
5. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर को सम्बोधित अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-3371/सत्तर-6-2010-2(500)/2010, दिनांक-30.08.2010 की टंकित प्रति:-

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-पू.वि.वि./सम्बद्धता/07-76(एक)/2010/3213, दिनांक-07.07.2010 एवं पत्रांक-पू.वि.वि./सम्बद्धता/07-76(एक)/2010/3500, दिनांक-13.08.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन बाबा प्रसिद्ध नारायण महाविद्यालय, बगधरी, मुरारा, जौनपुर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी.एड. पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक-01.07.2010 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है-

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
 2. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
 3. शासनादेश संख्या-5267/70-2-2005-2(166)/2002टी.सी., दिनांक-16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या-5125/70-2-2005-2(166)/2005, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 4. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
 5. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
 6. विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नगत पाठ्यक्रम में नियमानुसार प्रवेश होने, परीक्षाफल, परीक्षा नकल विहीन होने तथा अध्यापकों/विभागाध्यक्ष का वेतन बैंक के माध्यम से किये जाने के तथ्यों की पुष्टि करते हुये ही आगामी शैक्षिक सत्र में सम्बद्धता प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।
 7. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लेये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- (2) महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियों आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा।

ह0/-
(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/07-76(एक)/2011/466



दिनांक: 01-03-2011

प्रतिलिपि :-

1. प्रबन्धक/प्राचार्य, बाबा प्रसिद्ध नारायण महाविद्यालय, बगधरी, मुरारा, जौनपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि सत्र 2010-11 में (मात्र एक शैक्षिक सत्र हेतु) स्नातक स्तर पर बी.एड. पाठ्यक्रम में 100 सीटों पर नियमानुसार विश्वविद्यालय से आवंटित छात्रों के प्रवेश की अनुमति के साथ कक्षा-संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. उप/सहायक कुलसचिव, बी.एड. प्रवेश प्रकोष्ठ/परीक्षा/गोपनीय/अतिगोपनीय/स्टोर।

कुलसचिव

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।
महोदय,

लखनऊ: दिनांक: 07 जुलाई, 2011

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-पू0वि0वि0/सम्बद्धता/07-76(एक)/2011/1531, दिनांक 15.06.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन बाबा प्रसिद्ध नारायण महाविद्यालय, बगथरी, मुरारा, जौनपुर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनांतर्गत शैक्षिक सत्र 2010-11 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. शैक्षिक सत्र 2010-11 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने एवं सामूहिक नकल में आरोपित नहीं होने की स्थिति में सत्र 2011-12 के सम्बद्धता की शर्त पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थाई) की दिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2011 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थाई) आदेश निर्गत किए जाएंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा- निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जाएगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जाएगा।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या-सम्ब0 140(1)/सत्तर-6-2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. कुलसचिव, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, तिलकनगर, शांतिपथ, जयपुर।
5. प्रबन्धक, बाबा प्रसिद्ध नारायण महाविद्यालय, बगथरी, मुरारा, जौनपुर।
6. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर को सम्बोधित अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-सम्ब0 140/सत्तर-6-2011-2(500)/2010, दिनांक-07.07.2011 की टंकित प्रति:-

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-पू.वि.वि./सम्बद्धता/07-76(एक)/2011/1531, दिनांक-15.06.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन बाबा प्रसिद्ध नारायण महाविद्यालय, बगथरी, मुरारा, जौनपुर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2010-11 के परीक्षाफल के आभाव में दिनांक-01.07.2011 से शैक्षणिक सत्र 2011-12 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पूर्वानुमति प्रदान कर दी है-

1. शैक्षिक सत्र 2010-11 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने एवं सामूहिक नकल में आरोपित नहीं होने की स्थिति में सत्र 2011-12 के सम्बद्धता की शर्त पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थायी) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक-01.07.2011 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थायी) आदेश निर्गत किये जायेंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

ह0/-
(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

दिनांक

आदेश

अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-सम्ब0 140/सत्तर-6-2011-2(500)/2010, दिनांक-07.07.2011 के प्रस्तर-1 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में बाबा प्रसिद्ध नारायण महाविद्यालय, बगथरी, मुरारा, जौनपुर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2010-11 में स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम का परीक्षाफल शासनादेशानुसार 60 प्रतिशत से अधिक होने की पुष्टि के फलस्वरूप महाविद्यालय को उपरोक्त सन्दर्भित पाठ्यक्रम में दिनांक-01.07.2011 शैक्षणिक सत्र 2011-12 से सम्बद्धता (स्थायी) प्रदान किया जाता है।

ह0/-
प्रो0 (सुन्दर लाल)
कुलपति
दिनांक- 16.01.2012

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक पू.वि.वि./सम्बद्धता/07-76(एक)/2011/10076



दिनांक24/1/2012.....

प्रतिलिपि :-

1. अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-सम्ब0 140/सत्तर-6-2011-2(500)/2010, दिनांक-07.07.2011 के प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. ✓ प्रबन्धक/प्राचार्य, बाबा प्रसिद्ध नारायण महाविद्यालय, बगथरी, मुरारा, जौनपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त पाठ्यक्रम में निर्धारित सीटों से अधिक प्रवेश नहीं लिया जायेगा।
3. उप कुलसचिव/सहा0 कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/अतिगोपनीय/स्टोर।

कुलसचिव